

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :- 204 / 2020

-: आदेश :-

दिनांक :- 20.11.2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	मानोता खुर्द	2074-77	60	सुरेश कुमार पुत्र बंशीधर	सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बंशीधर शर्मा

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि पर रहन या स्थगन हो तो रहन मुक्त होने/स्थगन आदेश हटने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

प्रतिलिपि :- 1078-79

दिनांक 23/11/20

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मानोता कलां को सूचनार्थ।



(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)